HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए जानलेवा हमला करने के मामले मे एक आरोपी को 05 वर्ष का साधारण कारावास व 10,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 03.04.2026 को मा0 न्यायालय द्वारा जानलेवा हमला करने के मामले मे एक आरोपी को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 21.02.2021 को अभियुक्त गोमेश पुत्र धर्मेन्द्र निवासी मौ0 अचपलगढी कस्बा व थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ द्वारा वादी के भाई के साथ गाली गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से हमला करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पर मु0अ0सं0 86/2021 धारा 323, 324, 504, 307 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 13.03.2021 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 03.04.2026 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी द्वितीय हापुड़ द्वारा 05 वर्ष का साधारण कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री अशीष कश्यप (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री संजीव कुमार, पैरोकार का0 अजय कुमार व कोर्ट मोहर्रिर का0 दुष्यन्त राठी का विशेष योगदान रहा।